प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0इ0रि0 सं. 222/**2022**.............................दिनांक 6/6/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**.......... धाराये..........**7,7ए**
(II) * अधिनियम..........**भा. दं. सं**................धारायें ....120 बी..
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....95........ समय 7-20 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार.....**रविवार**......दिनांक....05.06.2022 समय ....7...पी..**एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **03.06.2022**

4. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक–**लिखित व मौखिक**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–32 किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री चेतन प्रकाश नानकानी
(ब) पिता / पति का नाम श्री वासूदेव नानकानी
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष.....उम्र 33 साल...
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता – निवासी 119 नीलकंठ बालाजी इन्द्रा मार्केट चाकसू जयपुर हाल निवासी 103 / 17 सेक्टर 10, कुंभा मार्ग प्रतापनगर सांगानेर जयपुर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– सांवरमल नीठारवाल पुत्र श्री कालूराम नीठारवाल, जाति जाट, उम्र 34 साल, निवासी बिहारीपुरा सिरसली राजस्थान हाल कानि. नंबर 9820 थाना चौमू जयपुर
2– श्री रमेशलाल चौधरी पुत्र श्री रामधन बिजारनिया, निवासी बडा कुंआ ढाणी नांगल पुरोहित, तहसील आमेर थाना दौलतपुरा जयपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).. रिश्वती राशि ......40000 / – रूपये **व** 10,000 / – रूपए

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य– रिश्वती राशि 40000 / – रूपये **व** 10,000 / – रूपए

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 03.06.2022 को श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को बुलाया तथा वहां पर पहले से बैठे हुए एक व्यक्ति से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया ने मन पुलिस निरीक्षक का परिचय कराते हुये बताया कि ये श्री चेतन प्रकाश नानकानी पुत्र श्री वासूदेव नानकानी निवासी 119 नीलकंठ बालाजी इन्द्रा मार्केट चाकसू जयपुर हाल निवासी 103/17 सेक्टर 10, कुंभा मार्ग प्रतापनगर सांगानेर जयपुर है। इन्होने मेरे समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आप श्री चेतन प्रकाश नानकानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी को लेकर अपने कक्ष में आयी व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जो इस प्रकार " सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधिक्षक जयपूर नगर चतुर्थ भष्टाचार निरौधक ब्यूरौ जयपूर विषय – भष्टपूलीस कारमीकौ कै खिलाफ कार्यवाही करवाने हेतू महोदय,नम्र निवैदन है कि मेरा नाम चेतन प्रकाश नानकानी है मेरी दवाईयौ की हौलसैल फर्मा सर्वानन्द फार्मा कै नाम सै फिल्म कॉलोनी जयपुर मैं स्थीत है, मूझै अप्रैल माह कै अन्त मे पूलीस थाना चौमू सै एक नौटिस 160 सीआरपीसी का श्री हैमराज SHO द्वारा मूकदमा नं. 197/2021 धारा 8/22, 8/25, 8/29 NDPS Act कै संम्बंध में अनूसंधान हेतू प्राप्त हुआ जीस पर मेरे द्वारा पूलीस थाना चौमू में SHO हेमराज जी से मीला तो SHO साहब ने मूझे अपने दूसरे साथी हेमन्त को साथ लेकर पून थाने पर आने कौ कहा जीस पर 13 मई 2022 कौ मै और हेमन्त पूनः SHO हेमराज सै मीलै तब उन्हौने मूकदमा नं. 197 कै संबंध मे हमसे आवश्यक जानकारी ली जाकर हमारे कूछ कागजो पर हस्ताक्षर कराये थै हमने SHO साहब कौ बताया था की हमारा उक्त मूकदमे से कौई लैना देना नहीं है हमरे आवश्यक दस्तावेजौ की कॉपी भी ली थी और बोला की जब भी पूलस आपकौ तपतीस हेतू बूलाए तौ आपको थाने आना होगा दिनांक 3/06/22 को मूझे व मेरे सालै हेमन्त कौ मौ. नं. 8385899252 सै करीब 10.00 AM पर फौन आया की आप पूलीस थाना चौमू आ जाऐ और कूछ खर्चा पानी लेते आना क्यौकी इस फाईल में हमारा बहूत खर्चा हौ गया है। मै उक्त पूलीस कारमीक जीसका नाम उसनै नही बताया के खीलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हू जब मै SHO हेमराज जी सै पहले मीला था तों उन्होने बोला की मेरा RIDER आपको जैसा करने को कहै वैसा अपको करना होगा, मै ऐसे भष्ट करमचारीयो कौ रंगे हाथै पकडवाना चाहता हूँ चेतन प्रकाश नानकानी S/o श्री वासूदेव नानकानी हाल निवासी 103/17 सेक्टर 10, कुंभा मार्ग प्रतापनगर सांगानेर जयपुर MO. 9887897998, 9680174032 " परिवादी ने दरियाफत में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को ही पुनः ताईद किया एवं बताया कि मुकदमा नंबर 197/21 में मेरे साले हेमन्त कुमार त्रिलोकानी को भी एसएचओ हेमराज द्वारा 160 सीआरपीसी का नोटिस दिया गया था। मेरी व हेमन्त की उक्त पुलिसकर्मियो से किसी प्रकार की रंजिश व उधार का लेनदेन नही है। मेरी व मेरी साले हेमन्त का उक्त मुकदमें सें संबंध नहीं है व उक्त मुकदमें से नाम निकालने की एवज में मैं उसे कोई रूपए नहीं देना चाहता। परिवादी ने उसको दिया गया 160 सीआरपीसी का नोटिस की छायाप्रति प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं परिवादी से की गयी दरियाफत से मामला रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु दिनांक 03.06.2022 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड खाली होना सुनिश्चित कर उसके संचालन की विधि से परिवादी को समझाईश कर कानि. श्री इन्दर सिंह कानि 148 के साथ ब्यूरो कार्यालय से चौंमू के लिए रवाना किया। तत्पश्चत परिवादी व इन्दर सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आए। तत्पश्चात श्री इन्दर सिंह कानि. द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड मुझे सुपुर्द करते हुए मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होने व संबंधित घटनाक्रम से अवगत कराया। जिसकी ताईद परिवादी श्री चेतन प्रकाश द्वारा की गयी। इस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओ को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तो मांग सत्यापन संबंधी दिनांक 03.06.2022 को प्रथम वार्ता तकनीकी त्रुटि के कारण रिकॉर्ड होना नही पायी गयी तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से कुछ दस्तावेजो की फोटोप्रति चाही थी जिस कारण परिवादी फोटोप्रति लेने के लिए थाने से बाहर आ गया ओर कुछ समय बाद फिर से वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर पुनः संदिग्ध आरोपी के पास गया। रिकॉर्ड दूसरी वार्ता को सुना तो संदिग्ध आरोपी कर्मचारी द्वारा फाईल में 1 से डेढ लाख रूपए खर्च होने संबंधी वार्ता रिकॉर्ड हुई किन्तु परिवादी द्वारा बतायी गयी यह बात कि उसने (आरोपी ने) एक अंगूली का ईशारा कर 50,000/– रूपए लेने पर सहमति आदि वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में तकनीकी कारणों से रिकॉर्ड नहीं होना पायी गयी। इस पर पुनः मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 04.06.22 को परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिए मोबाईल अवगत कराया कि संदिग्ध आरोपी ने उसे रिश्वत राशि लेकर आज ही बुलाया है लेकिन मैंने व्यस्त होने के कारण असमर्थता व्यक्त कर संडे को ही थाने पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया है। संदिग्ध आरोपी द्वारा रविवार को ही रिश्वत राशि लिए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हवा सिंह हैड कानि. को दो स्वतंत्र गवाह व समस्त कार्यालय स्टाफ को रविवार दिनांक 05.06.2022 को प्रातः कार्यालय आने हेतु तथा ट्रैप बॉक्स की आवश्यक सामग्री को दूरस्त

करने संबंधी निर्देश जरिए मोबाईल प्रदान किए गए। इसके पश्चात दिनांक 05.06.22 को परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी 8385899252 द्वारा हेमन्त के मोबाईल 9079280351 पर फोन करके आज थाने पर बुला रहा है तथा पुनः थाना चौमु में दर्ज एन.डी.पी.एस. प्रकरण में कोई संलिप्पतता नही होने व आरोपी को रंगे हाथो पकडवाने बाबत कहा। परिवादी को संदिग्ध आरोपी कर्मचारी ने आज ही रिश्वत राशि लेकर बुलाया है इस पर आरोपी द्वारा रूपयों की मांग करने एवं रूपए नहीं देने पर आरोपी को शक होने की संभावना पर परिवादी ने स्वयं के पास से 10,000/– रूपए निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को दिए । जिन्हे पुनः मांग सत्यापन के दौरान संदिग्ध कर्मचारी द्वारा लिए जाने की संभावना को देखते हुए पृथक से उक्त नोटो की फोटोकॉपी करवायी जाकर जरिए फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली कर परिवादी को पुनः लौटाए गए। तत्पश्चात पुनः मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड संचालन संबंधी विधि की समझाईश कर परिवादी को इन्दर सिंह के साथ मांग सत्यापन कार्यवाही हेतू ब्यूरो मुख्यालय से रवाना किया गया। तत्पश्चात पाबंधशुदा स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास उपस्थित कार्यालय आए जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका नाम–पता पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री पवन कुमार व्यास पुत्र स्व. श्री सुखदेव व्यास, जाति ब्रहाम्ण निवासी–प्लाट नं. 4–झ–5, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, निदेशालय, पशुपालन, जयपुर टोंक रोड़ लाल कोठी, जयपुर मोबाईल नम्बर 9414745956 होना बताया। समय करीब 1.27 पीएम पर परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी द्वारा जरिए मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को आरोपी कर्मचारी से मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकॉर्ड होने बाबत अवगत कराने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उन्हें उपस्थित कार्यालय आने के निर्देश दिए गए। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी, कानि. इन्दर सिंह, हेमन्त उपस्थित कार्यालय आए। श्री इन्दर सिंह कानि. द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करते हुए बताया कि मैं परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी के साथ कार्यालय से रवाना हुआ न्यू गेट जयपुर पर हेमन्त हमारे साथ हमराह हुआ तत्पश्चात हम थाना चौमू के पास समय लगभग 12.40 पीएम पर पहुँचे जहां परिवादी चेतन प्रकाश को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड संचालन की विधि समझाईश कर चालू कर परिवादी को देकर थाना चौंमू के लिए रवाना किया। हेमन्त भी परिवादी के साथ–साथ रवाना हुआ। कुछ समय पश्चात् परिवादी व हेमन्त मेरे पास आए तथा मैंने चेतन प्रकाश नानकानी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड लेकर बंद करके अपने पास सुरक्षित रख लिया व परिवादी ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पुछा तो उसने इन्दर कानि. के कथनों की ताईद की व बताया कि मैं व हेमन्त थाना चौंमू में रीडर के कमरे में गए जहॉ संदिग्ध आरोपी कर्मचारी मिला जिनका नाम सांवरमल होना पता चला। जिससे मुकदमे के संबंध में हेमन्त का पुछताछ नोट व दस्तावेज लिए। मैने कहा की इसके सामने (हेमन्त के) ही बता दो जो बात हुई तो सांवरमल ने अंगुली से 1 का ईशारा किया । इसपर मैंने मेरे साले हेमन्त को कहा कि साब ने एक लाख रूपए मांगे थे। फिर 50,000/– पर बात तय हुई कि 25–25,000/– रूपए दोनो दे देंगे। उसने हमे अभी कर दो कहा तो हमने उसे कहा कि अभी तो लाए नहीं अभी तो 10,000/– रूपए है। हम सीकर जाएंगे 40,000/– रूपए लेने, कहो तो एक साथ 50,000/– इकट्ठे दे दूं इसपर आरोपी सांवरमल ने कहा कि अभी जो लाए हो वो तो दे जाओ बाकि फिर सीधे यहीं आना थाने आदि बात हुई। मैंने 10,000/– उसे दे दिए। इसके बाद मैं व हेमन्त, इन्दर जी के पास आए जिन्होंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड को बंद करके अपने पास सुरक्षित रख लिया । तत्पश्चात जरिए फोन आपको मांग सत्यापन होने संबंधी बात से अवगत कराया व आपके निर्देशानुसार इन्दर सिंह व हेमन्त को साथ लेकर जयपुर के लिए रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुँचा । परिवादी के कथनों की पुष्टि हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत मांग संबंधी वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी ।उक्त रिकॉर्ड वार्ता में हेमन्त की वार्ता भी होना पायी गयी इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हेमन्त से मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में जानकारी चाही तो उसने परिवादी चेतन के कथनों की ताईद की तथा आवश्यक कार्य होने के कारण जाने की अनुमति चाही गयी । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हेमन्त की आवश्यकता नहीं होना सुनिश्चित कर उसे मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया। परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी का नाम सांवरमल होना व संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नंबर 8385899252 को ट्रू कॉलर पर मोबाईल धारक का नाम सांवरमल ही होना ज्ञात हुआ। चूंकि आरोपी श्री सांवरमल द्वारा आज दिनांक 05.06.2022 को ही रिश्वत राशि देने बाबत परिवादी को कहा गया है ट्रैप कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से परिवादी को शेष रिश्वत राशि 40,000/– रूपए की व्यवस्था किए जाने बाबत कहा गया तो परिवादी ने उक्त रिश्वत राशि की व्यवस्था होना बताया। इस समय पाबंधशुदा स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार सक्सेना उपस्थित कार्यालय आए जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका नाम–पता पुछा तो उन्होने अपना नाम डॉ नरेश कुमार सक्सेना पुत्र स्व. श्री अमर किशोर सक्सैना, जाति कायस्थ, उम्र 56 साल निवासी–प्लॉट नंबर 91/15, पटेलमार्ग मानसरोवर थाना शिप्रापथ जयपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, निदेशालय, पशुपालन विभाग, पशुधन, टोंक रोड़ लाल कोठी, जयपुर मोबाईल नम्बर 9461040944 होना बताया। इसपर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार व्यास व डॉ नरेश कुमार सक्सेना से परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी का आपस

में परिचय करवाया व ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया। उसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी को स्वतंत्र गवाहान् की मौजूदगी में आरोपी सांवरमल थाना चौंमू जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली शेष 40,000/– रिश्वती राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 40000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को पेश करने पर उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 5.11 पीएम पर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री नाथूलाल उप निरीक्षक, रजनीश कानि न 228, श्री धर्मवीर सिंह कानि न. 236, श्री ओमप्रकाश कानि नं. 438, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह डॉ. नरेश कुमार सक्सेना मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहनों मय चालको के एवं परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी, श्री इन्दर सिंह कानि. 148, श्री हवासिंह मु. आरक्षी नंबर 09 एवं स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास को परिवादी के निजि वाहन से एसीबी कार्यालय से चौंमू जयपुर के लिए रवाना हुए तथा श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी इमदाद के लिए हमराह रवाना होकर समय करीब 6.10 पीएम पर थाना चौंमू के समीप पहुॅचकर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रिश्वत लेन–देन बाबत डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के संचालन की विधि समझाईश कर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान गोपनीय रूप से थाना परिसर चौंमू के आस–पास पूर्व निर्धारित परिवादी के ईशारे के लिए गोपनीय रूप से मुकिम हुए। तत्पश्चात समय करीब 6.58 पीएम पर परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी ने थाना परिसर चौंमू से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक को स्वयं के मोबाईल नंबर 9680174032 से मिस्ड कॉल करके रिश्वत लेन–देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाप्ते को रिश्वत लेनदेन होने का ईशारा किया। इस दौरान परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी थाना परिसर से निकलने के पश्चात् डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को बंद करने के पश्चात् पुनः थाना परिसर चौंमू में मन् निरीक्षक के पास आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड सुपुर्द किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि उसने श्री सांवरमल कानि. को रिश्वत राशि रूपए 40,000/– मय लिफाफा दिया जिसे उसने अपने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जींस की सामने की बांयी जेब में रख लिए तथा मेरे थाने से बाहर निकलने के दौरान ही वह भी थाना परिसर से बाहर निकल गया था। जिसपर सांवरमल की तलाश की गयी। तत्पश्चात समय 7.02 पर श्री इन्दर सिंह कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिए फोन अवगत कराया कि सांवरमल थाने के रीडर कक्ष में है जिसे डिटेन कर लिया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान् मय परिवादी के थाना परिसर चौंमू में प्रवेश किया। जहां परिवादी ने रीडर कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यही श्री सांवरमल कानि. है जिन्होने अभी अभी मेरे से 40,000/– रूपए मय लिफाफा अपने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जींस की सामने की बांयी जेब में रख लिए तथा मेरे थाने से बाहर निकलने के दौरान ही सांवरमल थाना परिसर चौंमू से बाहर निकला था जो शायद थाने के पीछे के गेट से थाने मे अपने रीडर कक्ष में आ गया । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सांवरमल नीठारवाल पुत्र श्री कालूराम नीठारवाल निवासी बिहारीपुरा सिरसली राजस्थान हाल कानि. नंबर 9820 थाना चौंमू बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी से परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी से राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रूपए नहीं लिए है तथा बार–बार पुछने पर भी यही बात दोहराता रहा। इसपर परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी द्वारा आरोपी सांवरमल के कथनो का जोरदार रूप से खण्डन करते हुए कहा कि सांवरमल कानि ने मुझसे प्रकरण संख्या 197/21 में एनडीपीएस एक्ट के संबंध में दर्ज प्रकरण में से नाम निकालने व फाईल पर हुए खर्च की एवज में एक लाख रूपए की मांग की जाकर 50,000 रूपए की सहमति पर आज दिनांक को दोपहर में मांग सत्यापन के दौरान 10,000 रूपए ले लिए थे तथा शेष राशि 40,000 रूपए मय लिफाफे आरोपी सांवरमल ने अभी अभी प्राप्त कर स्वयं की जेब में रख लिए थे व थाने से बाहर चला गया था। इस पर आरोपी श्री सांवरमल की जींस की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास से लिवाई गयी तो आरोपी सांवरमल के पास उक्त रिश्वती राशि नहीं मिली जिसके संबंध में पुनः पुछने पर आरोपी सांवरमल ने कोई जानकारी नहीं होना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो द्वारा प्रचलित प्रकिया अनुसार आरोपी सावरमल की दाहिने हाथ का धोवन लिया गया जिसका रंग हलका गुलाबी हो गया, उक्त धोवन को साफ कॉच की 2 शीशीयो में आधा–आधा डालकर ढक्कन लगाकर सील्ड चस्पा कर मार्क R/s-1 व R/S-2 दिया गया। इसी प्रकार अन्य गिलास में तैयार सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण में आरोपी के बांये हाथ का धोवन लिया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त धोवण को 2 साफ कॉच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर ढक्कन लगाकर सील्ड चस्पा कर L/S-1 व L/S -2

मार्क दिया गया । इसके उपरांत आरोपी के लिए एक लोवर का इंतजाम किया जाकर उसकी पहनी हुई जींस का धोवन लिए जाने बाबत एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उनमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात आरोपी सांवरमल नीठारवाल की पहनी हुई जींस की सामने की बांयी जेब का धोवन उक्त तैयारशुदा मिश्रण में लिया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान् एवं उपस्थिगणो ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर मार्क P/S-1 व P/S-2 मार्क अंकित किया गया। आरोपी सांवरमल नीठारवाल की पहनी हुई जींस को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलकर शील्ड मोहर कर मार्क S अंकित किया गया व संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व इसी प्रकार आरोपी सांवरमल नीठारवाल के दोंनो हाथों एवं पहनी हुई जींस के धोवन की सील्डशुदा प्रत्येक शीशी पर, संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिए गए। इसके उपरांत आरोपी निठारवाल से रिश्वती राशि के सम्बन्ध में सख्ती से पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि परिवादी से रूपए मय लिफाफे प्राप्त करके अपनी पहनी हुई जींस की बांयी जेब में रखने के उपरांत तुरंत ही मैं चेतन के पीछे–पीछे ही थाना परिसर से बाहर निकल कर उक्त रिश्वती राशि परिसर के बाहर पीछे की तरफ रमेश चाय वाले को दे आया था। इस पर आरोपी के कथनों की ताईद करने हेतु एसीबी जाप्ते को रमेश चाय वाले को डिटेन कर लाने के निर्देश देने पर रमेश को थाना परिसर चौंमू के रीडर कक्ष में लाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रमेश को स्वयं का परिचय देते हुए आरोपी सांवरमल नीठारवाल द्वारा दिए गए रिश्वती राशि के संबंध में पुछा तो उसने बताया कि अभी थोडी देर पहले सांवरमल कानि. उसे एक लिफाफा देकर गया था जो कि मेरी पेंट की जेब में रखे हुए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास को रमेश लाल चौधरी के कहे अनुसार उसकी पहनी हुई पेंट की तलाशी लिवायी गयी तो रमेश लाल चौधरी की सामने की दांयी जेब से लिफाफा मिला। जिसको खोलकर देखा गया तो उसमें रिश्वती राशी होना पायी गयी इसके अतिरिक्त रमेश लाल चौधरी की पेंट की पिछली दांयी जेब से 10,000 रूपए और मिले। जिसके बारे में आरोपी रमेश लाल चौधरी से पुछने पर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि उक्त 10,000/– भी सांवरमल ने ही मुझे दोपहर मे दिए थे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त लिफाफे मय रिश्वती राशि व 10,000 रूपए स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास को सुरक्षित अपने पास रखने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने रमेश द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष 2 साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उनमे एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद रमेश के दांये हाथ का धोवन लिया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितगणों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त धोवण को साफ कॉच की 2 शीशीयो में आधा–आधा डालकर ढक्कन लगाकर सील्ड चस्पा कर मार्क R/R-1 व R/R-2 दिया गया। इसी प्रकार अन्य गिलास में तैयार सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण में रमेश के बांये हाथ का धोवन लिया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान ने गुलाबी झाईनुमा होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त धोवण को 2 साफ कॉच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर ढक्कन लगाकर सील्ड चस्पा कर L/R-1 व L/R-2 मार्क दिया गया । इसके उपरांत रमेश के लिए एक लोवर का इंतजाम किया जाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट का धोवन लिए जाने बाबत एक साफ कांच के गिलास में स्वच्छ पानी मंगवाकर उनमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात रमेश की पहनी हुई बरंग बैंगनी चैक प्रिंट की पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब का धोवन उक्त तैयारशुदा मिश्रण में लिया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान् एवं उपस्थितगणो ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर मार्क P/R-1 व P/R-2 मार्क अंकित किया गया। रमेश की पहनी हुई बंरग बैंगनी चैक प्रिंट की पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलकर शील्ड मोहर अंकित कर मार्क R अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गयी । इसी प्रकार आरोपी रमेश लाल चौधरी के दोनो हाथों एवं पहनी हुई बरंग बैंगनी चैक पेन्ट के धोवन की सील्डशुदा प्रत्येक शीशी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिए गए। इसके पश्चात आरोपी श्री सांवरमल निठारवाल द्वारा ली गयी रिश्वती राशि जो रमेश के पास से मय लिफाफा बरामद राशि जो स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास के पास सुरिक्षत रखवाई गई थी, को लिफाफे से निकलवायी गयी एवं गिना गया तो 500–500 के कुल 80 नोट कुल 40,000/–रूपए होना पाए जाने पर उक्त राशि को दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया । जिन्हे दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों से हुबहु मिलान होना बताया। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल 40000 रूपयों को मय लिफाफा के एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान् को रमेश की

पेंट की पिछली जेब से मिले 500–500 के कुल 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपयो का मिलान परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु दिनांक 05.06.22 को जाने से पूर्व लिए गए नोटो की छायाप्रति व फर्द सुपुर्दगी से मिलान किए जाने बाबत कहा गया तो उक्त 10,000 रूपए हूबहू पाए गए जो कि परिवादी चेतन प्रकाश द्वारा आरोपी श्री सांवरमल नीठारवाल को मांग सत्यापन दिनांक 05.06.2022 के दौरान दोपहर में दिए गए थे। जिसपर उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सांवरमल निठारवाल से परिवादी से लिए गए रूपयो के बारे में पूछने पर उसने बताया कि थाना विश्वकर्मा में दर्ज प्रकरण संख्या 197/21 जिसका अनुसंधान थानाधिकारी थाना चौंमू द्वारा किया जा रहा था जिसका कार्य उनके रीडर श्री पूरणमल कर रहे थे जिनका मैं एलसी का कार्य करता हूँ। वर्तमान श्री पूरणमल पीएल अवकाश पर है इस दौरान मेरे द्वारा उक्त पत्रावली में लिखा–पढी का कार्य किया जा रहा है। चेतन प्रकाश नानकानी को अनुसंधान में आरोपी पाए जाने पर उससे पुछताछ के लिए दिनांक 03.06.2022 को थाने पर बुलाया था। चेतन के रिश्तेदार हेमन्त का भी उक्त प्रकरण में नाम है जिसे मैंने फोन करके थाने पर आने की बात कही थी। चेतन मेरे पास आया व मुकदमे के संबंध में बातचीत की इसपर मैंने उसे अंगूली से एक का ईशारा किया था जिसपर चेतन प्रकाश ने मुझे मेरे द्वारा किए गए एक के ईशारे को ज्यादा बताया तब मैंने उसके बताए अनुसार 50,000/– रूपए में उसका व हेमन्त का नाम निकालने पर सहमति दी व उसे उक्त राशि लेकर संडे को बुलाया था। आज दिनांक 05.06.22 को दोपहर मे चेतन व हेमन्त मेरे पास आए थे जिसमें मेरे द्वारा हेमन्त का पुछताछ नोट तैयार कर आवश्यक दस्तावेजो की कॉपी हेमन्त से लेकर शामिल पत्रावली किए गए। तत्पश्चात चेतन से 10,000/– रूपए प्राप्त किए तथा शेष 40,000/– सीकर से लाने की कहकर व वापसी में शेष राशि देने की कहकर वे दोनो थाने से निकल गए थे। लगभग 2–3 घंटे बाद चेतन मेरे पास आया व 40,000/–मय लिफाफा देकर गया जो मैंने स्वयं की जींस मे रख लिए तथा तुरंत ही थाने परिसर के बाहर रमेश चाय वाले को देकर थाने के पीछे के गेट से रीडर कक्ष में आकर बैठ गया। उक्त प्रकरण संख्या 197/21 के अनुसंधानाधिकारी थानाधिकारी चौंमू है जिनसे उक्त लेन–देन संबंध में प्रकरण संख्या 197/21 में परिवादी श्री चेतन प्रकाश व हेमन्त की भूमिका के संबंध में पुछताछ की जानी आवश्यक है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने थानाधिकारी चौंमू श्री हेमराज जी को थाने पर तलाश किया तो उपस्थित नहीं मिले थाने पर मौजूद स्टाफ से पूछा गया तो थानाधिकारी श्री हेमराज के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया। इसके पश्चात मौके पर उपस्थित श्री चेतन प्रकाश नानकानी ने आरोपी श्री सांवरमल निठारवाल की कही बातो पर बताया कि उसने मुझसे उक्त प्रकरण की फाईल में हुए खर्चे के रूपयो की मांग की। जिस पर मैने दिनांक 03.06.2022 को एसीबी में शिकायत दर्ज करवायी थी तथा दिनांक 03.06.22 को श्री इन्दर सिंह कानि के साथ मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री सांवरमल नीठारवाल ने 1 लाख रूपयो का अंगूली से ईशारा करने के उपरांत 50,000 रूपये पर सहमति दी । मांग के अनुसरण में सांवरमल निठारवाल ने आज दिनांक 05.06.2022 को पुनः मांग सत्यापन के दौरान 10000/– रूपये प्राप्त कर लिये थे। इसके पश्चात शेष रिश्वती राशि 40000 रूपये और लेने के लिए कहने पर मै आज दिनांक 05.06.2022 को पुनः थाना चौंमू में श्री सांवरमल से समय लगभग 6.30 पीएम के आसपास मिला तो उसने रिश्वती राशि मय लिफाफा प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री चेतन प्रकाश के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 197/21 के संबंध आरोपी श्री सांवरमल को पुछा तो उसने अपने कक्ष में रखी हुई मुकदमा नंबर 197/21 की पत्रावली की ओर ईशारा किया। जिसपर उक्त मुकदमे की पत्रावली को प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया तो उक्त मुकदमा 173 (8) सीआरपीसी में अनुसंधानाधिन है जिसमें पत्रावली के अंत में परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी का पुछताछ नोट दिनांक 03.06.22 एवं हेमन्त का पुछताछ नोट दिनांक 05.06.22 शामिल पत्रावली है । उक्त प्रकरण का अनुसंधान अभी पैण्डिग है अतः प्रकरण की पत्रावली की छायाप्रति बतौर वजह सबूत प्राप्त करने हेतु थानाधिकारी चौंमू को पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। आरोपी एवं परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.06.22 व 5.06.22 एवं रिश्वत राशि लेन–देन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी । फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी आरोपीगण पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाएगी। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सांवरमल नीठारवाल व रमेश लाल चौधरी का जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 एवं 120 भादसं के अपराध से आगह कर धारा 41 सीआरपीसी में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया जिसकी सूचना मौंके पर उपस्थित आरोपीगणों के भाईयो क्रमशः कमलकिशोर व सुल्तान बिजारणिया को दी जाकर जामातलाशी में मिले अन्य सामान को भी सुपुर्द किया। आरोपी सावंर मल की जामातलाशी में मिले उसके वीवो कंपनी मॉडल नंबर 1713 बरंग गोल्ड मय सिम मय पासवर्ड के वास्ते अनुसंधान कब्जा एसीबी लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सांवरमल नीठारवाल कानि. 9820 को फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये नोटिस दिया जाने पर आरोपी श्री सांवरमल ने लिखित में आवाज नमूना नहीं दिए जाने बाबत अंकित किया उक्त आवाज

नमूना के नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात थाना परिसर एवं थाने से बाहर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होने पर नक्शा मौका घटनास्थल, मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण 197/21 की प्रमाणित छायाप्रति जरिए पत्र 7087 दिनांक 05.06.22 द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को प्राप्त हुई जिसे शामिल कार्यवाही किया गया।

इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री चेतन प्रकाश को प्रातः कार्यालय उपस्थित होने बाबत हिदायत कर उसके निजि वाहन से रवाना किया। इसके उपरांत आरोपी श्री सांवरमल नीठारवाल द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि उसके शरीर में दर्द संबंधी शिकायत है जिसके लिए वह पूर्व से दवाईयां ले रहा है जो उसके पास है तथा साथ ले जाने बाबत पुछा । इसपर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी सांवरमल के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उसके द्वारा ली जा रही दवाईयां साथ रखने की अनुमति दी गयी। तत्पश्चात दिनांक 06.06.2022 को समय 3.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सांवरमल नीठारवाल कानि. 9820 व आरोपी श्री रमेश लाल चौधरी प्राइवेट व्यक्ति दलाल, जब्त शुदा आर्टिकल्स मय लैपटॉप प्रिन्टर व ट्रैप बॉक्स मय सरकारी वाहनो मय चालको के जयपुर के लिए रवाना हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री नाथूलाल उनि को जरिए फोन आरोपगण के स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जाने हेतु निर्देशित किया। मन् पुलिस निरीक्षक हमराह कानि. नीलम को उसके निवास स्थान पर छोडते हुए मय स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, टैप बॉक्स के जरिए वाहन सरकारी मय चालक के ब्यूरो कार्यालय जयपुर पहुॅची तथा श्री गोविन्द सिंह है. कानि. को जब्तशुदा आर्टिकल्स, ट्रैप बॉक्स सुरक्षित मालखाना रखे जाने हेतु सुपुर्द किया गया व अन्य सामाग्री कार्यालय में रखवायी गयी। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को आगे की कार्यवाही हेतु प्रातः 9.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने बाबत हिदायत की जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया। कुछ समय बाद श्री नाथूलाल उ.नि. मय आरोपीगण मय एसीबी जाप्ता के मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर आरोपीगण के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपीगण श्री सांवरमल व श्री रमेशलाल चौधरी से उनके स्वास्थ्य के बारे में पुछा तो उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होना बताया जिसपर गोविन्द सिंह है. कानि. व संतरी पहरा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाकर आरोपीगण को उक्त की निगरानी में ब्यूरो में स्थित हवालात में दाखिल कर ब्यूरो मुख्यालय से अपने निवास स्थान के लिए रवाना हुई। ततपश्चात मन् पुलिस निरीक्षक उपस्थित कार्यालय आयी तथा बंद हवालात आरोपीगण से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की गयी। कुछ समय पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व्यास एवं डॉ नरेश कुमार सक्सेना उपस्थित कार्यालय आए। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपीगण श्री सांवरमल नीठारवाल एवं रमेशलाल चौधरी से पृथक–पृथक पूछताछ नोट मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही किए। दिनांक 03.06.2022 की मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.06.2022 की पुनः मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता को सुन कर परिवादी की मदद से पृथक से ट्रांसक्रिप्ट (रफ) बनाई जिसकी मदद से स्वतन्त्र गवाहान रिकॉर्ड वार्ताओ को सुनाए जाने पर समझ सके । परिवादी श्री चेतन प्रकाश के उपस्थित कार्यालय आने के उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी चेतन प्रकाश व स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार व्यास व डॉ. नरेश कुमार सक्सेना की उपस्थिति में दिनांक 03.06.22 जयपुर को परिवादी चेतन प्रकाश नानकानी एवं आरोपी सांवरमल के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में दर्ज है को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर संबन्धित महत्वपूर्ण वार्ता की मूल ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गयी जो की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में अंकित है। जिसमें परिवादी श्री चेतन प्रकाश द्वारा अपनी, हेमन्त की व आरोपी श्री सांवरमल कानि. की आवाज की पहचान की गयी। तत्पश्चात कार्यालय से 6 खाली सीडी की व्यवस्था की जाकर उन्हें कम्प्यूटर में जरिए खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओ को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को 6 सीडीयो में बर्न/डाउनलोड कर उक्त 6 सीडीयों में वार्ताऐ दर्ज होना सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क A–1, A –2 , A –3, A–4, A–5, A–6 दिया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क A–1, A–2 न्यायालय सीडी, मार्क A–3, A–4 आरोपीगणो की सीडी व सीडी मार्क A–5, एडीपी की खुली सीडी मार्क A–6 को अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड 16 जीबी sandisk कंपनी को प्लास्टिक के एसडी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शील्ड मोहर कर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली

किया गया। तत्पश्चात परिवादी चेतन प्रकाश नानकानी एवं आरोपी सांवरमल के मध्य दिनांक 05.06.22 को पुनः मांग सत्यापन रिश्वत राशि एवं रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में दर्ज है को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर मूल ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी जो की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में अंकित है। जिसमें परिवादी श्री चेतन प्रकाश द्वारा अपनी व हेमन्त एवं आरोपी श्री सांवरमल कानि. की आवाज की पहचान की गयी। तत्पश्चात कार्यालय से 6 खाली सीडी की व्यवस्था की जाकर उन्हें कम्प्यूटर में जरिए खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ को कार्यालय के चालु कम्प्यूटर की सहायता से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को 6 सीडीयो में बर्न/डाउनलोड कर उक्त 6 सीडीयों में वार्ताऐ दर्ज होना सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क B–1, B–2 , B–3, B–4, B–5, B–6 दिया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क B–1, B–2 न्यायालय सीडी, मार्क B–3, B–4, आरोपीगणो की सीडी व सीडी मार्क B–5, एडीपी की खुली सीडी मार्क B–6 को अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड 16 जीबी sandisk कंपनी को प्लास्टिक के एसडी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शील्ड मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री आरोपी सांवरमल नीठारवाल पुत्र श्री कालूराम निठारवाल निवासी बिहारीपुरा सिरसली राजस्थान हाल कानि. नंबर 9820 थाना चौंमू जिला जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ आरोपी श्री रमेशलाल चौधरी पुत्र श्री रामधन बिजारनिया, उम्र 32 साल निवासी बडा कुंआ ढाणी नांगल पुरोहित, तहसील आमेर थाना दौलतपुरा जयपुर से आपसी मिलिभगत कर परिवादी श्री चेतन प्रकाश नानकानी के विरूद्व पुलिस थाना विश्वकर्मा में दर्ज प्रकरण संख्या 197/21 में जो की अनुसंधान हेतु थानाधिकारी चौंमू को प्राप्त हुई थी में परिवादी चेतन प्रकाश नानकानी एवं हेमन्त का नाम निकालने एवं फाईल पर हुए खर्चे की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 03.06.22 को एक लाख रूपयो की मांग की जाकर 50,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होने पर मांग के अनुसरण में दिनांक 05.06.2022 को पुनः मांग सत्यापन के दौरान 10,000 रूपये लेकर शेष 40,000 रूपए दिनांक 05.06.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन–देन के समय अपनी मांग के अनुशरण में शेष रिश्वती राशि 40,000 रूपये मय लिफाफे के प्राप्त करना तथा रिश्वती राशि को आरोपी श्री रमेशलाल चौधरी पुत्र श्री रामधन बिजानिया, उम्र 32 साल निवासी बडा कुंआ ढाणी नांगल पुरोहित, तहसील आमेर थाना दौलतपुरा जयपुर को देना पाये जाने एवं रमेश लाल चौधरी से उक्त रिश्वती राशि 40,000 एवं पुनः मांग सत्यापन दिनांक 05.06.22 के दौरान परिवादी से लिए गए 10,000 रूपए बरामद हुए। सांवरमल नीठारवाल पुत्र श्री कालूराम नीठारवाल निवासी बिहारीपुरा सिरसली राजस्थान हाल कानि. नंबर 9820 थाना चौंमू व आरोपी श्री रमेशलाल चौधरी पुत्र श्री रामधन बिजारनिया, निवासी बडा कुंआ ढाणी नांगल पुरोहित, तहसील आमेर थाना दौलतपुरा जयपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की गई।

(अनीता)
पुलिस निरीक्षक,
जयपुर नगर–चतुर्थ
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनीता, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री सांवरमल निठारवाल, कानि. नम्बर 9820, पुलिस थाना चौमूं, जयपुर एवं 2. श्री रमेशलाल चौधरी पुत्र श्री रामधन बिजारनिया निवासी बडा कुंआ ढाणी नांगल पुरोहित तहसील आमेर थाना दौलतपुरा जयपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 222/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1956-60 दिनांक 6.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), आयुक्तालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

6.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।